प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

30 जुलाई 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाराशि पर ब्याज दर संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 05 जून 2026 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से मसौदा "भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026" जारी किया था, जिन पर विनियमित संस्थाओं और जन सामान्य /अन्य हितधारकों से 20 जून 2026 या उससे पूर्व टिप्पणियां/प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थी। उक्त मसौदा संशोधन निदेश में बैंकों को उनकी रुपया थोक जमाराशि के मूल्य निर्धारण के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करने का प्रस्ताव था, साथ ही जमाराशि पर ब्याज दरों के प्रकटीकरण में एकरूपता सुनिश्चित की गई थी।

उक्त मसौदा संशोधन निदेशों पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप संशोधनों को अंतिम संशोधन निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। उक्त मसौदा संशोधन निदेश पर प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी विवरण अनुलग्नक में प्रदान किया गया है।

तदनुसार, आज रिज़र्व बैंक ने, 1 अक्तूबर 2026 से प्रभावी होने वाले, निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए हैं:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – जमाराशि पर ब्याज दर) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
ii. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
iii. भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
iv. भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026
v. भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
vi. भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/781